न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 107 दायर दिनांक : 14.06.2017

ख्यालीराम (फौत) पुत्र मनसुख जरिये वारिस

1. दौलतराम पुत्र ख्यालीराम जाति नाई निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. पुष्पा पुत्री ख्यालीराम जाति नाई निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
3. राजपाल (फौत) पुत्र ख्यालीराम
   - 3/1. ममता पत्नी राजपाल जाति नाई निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
   - 3/2. ऋषभ कुमार पुत्र राजपाल नाबालिग जरिये कुदरतीवली माता ममता पत्नी राजपाल जाति नाई निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

—प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभुराम } पुत्रगण छोगाराम जाति नाई निवासी मालेर
2. गौरीशंकर } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र बाबत आर्थिक प्रतिभूति राशि अथवा रिसीवर नियुक्ति हेतु

उपस्थित :
1. श्री राजेन्द्र शर्मा, अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण सं. 1 व 2
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 16.12.2019

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा वाद—पत्र बाबत खाता विभाजन के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नाम से रोही मालेर तहसील

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

सूरतगढ़ के खाता सं. 40 के खसरा नं. 109/3 में 3.694 है0 बारानी अर्थात 14.12 बीघा, खसरा नं. 109/4 में 3.542 है0 अर्थात 14 बीघा, खसरा नं. 226/109 में 0.354 है0 अर्थात 1.08 बीघा, कुल 7.590 है0 अर्थात 30 बीघा बारानी खातेदारी भूमि में से प्रार्थी के नाम 2.024 है0, अप्रार्थी सं. 1 के नाम 1.771 है0, अप्रार्थी सं. 2 के नाम 3.795 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वर्तमान में उक्त समस्त भूमि चकबन्दी में आकर खसरा नं. 109/3 की 3.694 है0 अर्थात 14.12 बीघा भूमि चक 1 एम.आर.एम. के पत्थर नं. 60/64 के किला नं. 7, 8, 13, 14, 16 ता 18 = 7.00 बीघा, पत्थर नं. 60/8 के किला नं. 3, 8, 13, 18, 20 ता 23 = 8.00 बीघा, कुल 15.00 बीघा में फिट की गई है। खसरा नं. 109/4 की 3.542 है0 अर्थात 14 बीघा भूमि चक 1 एम.आर.एम. के पत्थर नं. 60/64 के किला नं. 23 ता 25 = 3.00 बीघा, पत्थर नं. 61/1 के किला नं. 1, 10, 12 = 3.00 बीघा में पैमूद हो चुकी है, शेष रकबा अन्य चकों में चला गया है। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि उसको प्रतिवादीगण द्वारा 8.00 बीघा भूमि का विक्रय कर अंकित भूमि से अलग खसरा नम्बर के 8.00 बीघा का कब्जा दिया गया जिसे उसने अथक परिश्रम कर सुधार कर काबिल काश्त बनाया, व काफी धन खर्च किया, किन्तु अब पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि वह खातेदारी भूमि पर काबिज नहीं है, बल्कि अप्रार्थीगण की अस्थाई आवंटित भूमि पर काबिज है, इसलिए प्रार्थी ने खाता विभाजन का वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण अपने अंकित हिस्सा से अपने खाते में अंकित भूमि से अधिक भूमि पर काबिज हैं एवं चक 1 एम.आर.एम. के पत्थर नं. 60/8 के किला नं. 3, 8, 13, 18, 20 ता 23 = 8.00 बीघा भूमि प्रार्थी की है, प्रार्थी के हितों की सुरक्षा हेतु प्रतिवादीगण के विरुद्ध 40,000/–रू. प्रति बीघा प्रति वर्ष के हिसाब से नकद प्रतिभूति कायम कर ताफैसला वाद खजानाराज में जमा करवाई जावे। नकद प्रतिभूति जमा न करवाने की स्थिति में वर्णित भूमि पर रिसीवर नियुक्त किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। अपने कथनों के समर्थन में अपना शपथ–पत्र भी प्रस्तुत किया।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब कर जवाब प्राप्त किया गया। दौराने वाद ही प्रार्थी की मृत्यु होने पर

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उनके वारिसों को पक्षकार बनाकर संशोधित शीर्षक प्रार्थना–पत्र संलग्न पत्रावली किया गया। बाद आने जवाब तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 से रोही मालेर के खसरा नं. 109/3 में 3.694 है0, खसरा नं. 109/4 में 3.542 है0, खसरा नं. 226/109 में 0.354 है0, कुल 7.590 है0 में से 2.024 है0 भूमि खरीद की गई। यह भूमि वर्तमान में चकबन्दी में आ गई है व चक 1 एम.आर.एम. के पत्थर नं. 60/64 में 7.00 बीघा, पत्थर नं. 60/8 में 8.00 बीघा, पत्थर नं. 60/64 में 3.00 बीघा, व पत्थर नं. 61/1 में 3.00 बीघा पैमूद हो चुकी है व शेष अन्य चकों में पैमूद हो गई। प्रार्थी चक 1 एम.आर.एम. के पत्थर नं. 60/8 की 8.00 बीघा भूमि को रिसीवर करवाना चाहता है ताकि उसको वाद चलन के दौरान आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। उसे अप्रार्थीगण ने खातेदारी भूमि की बजाय अन्य भूमि पर कब्जा दिया है। प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला बनना बताते हुए अपूर्णीय क्षति अंकित अनुसार मानते हुए नकद प्रतिभूति अथवा रिसीवर की मांग की एवं इसे न्याय अनुकूल बताया व प्रार्थना–पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। अपने कथनों के समर्थन न्याय निर्णय प्रकाशित आर.आर.टी. 2017 (1) पेज सं. 528, नकल रेवन्यू डाइजेस्ट पेज सं. 749 पेश की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रस्तुत साक्ष्य अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.04.2011 को रोही मालेर तहसील सूरतगढ़ के संयुक्त खाते में अंकित खाता संख्या 39/77 के खसरा नं. 109/3 में 3.694 है0, खसरा नं. 109/4 में 3.542 है0, खसरा नं. 226/109 में 0.354 है0, कुल 7.590 है0 में से 2.024 है0 भूमि खरीद की गई। यह भूमि उस समय अप्रार्थीगण के नाम अंकित 2/6 हिस्सा से बहिस्सा बराबर में अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय की गयी व उसी समय विक्रय की गयी बारानी भूमि का कब्जा दिया गया है। कब्जा नियमानुसार दिया गया है व वर्तमान में प्रार्थी बिना विभाजन विशिष्ट हिस्सा की भूमि अपनी नहीं बता सकता। उसका हिस्सा बाद विभाजन ही विशिष्ट (Specific) होगा, तब तक वह तीनों खसरों की भूमि में अपने हिस्सा अनुसार काश्त करने को स्वतंत्र है।

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

वर्तमान में भी प्रार्थी स्वयं 8.00 बीघा भूमि पर अपना कब्जा स्वीकार करता है। किस खसरे की भूमि पर काबिज है, स्पष्ट नहीं करवाया है। दौराने वाद अंकित काश्तकार के विरुद्ध स्थगन नहीं दिया जा सकता। इस सम्बन्ध में न्याय निर्णय प्रकाशित आर.बी.जे. 2004 (11) पेज सं. 270, आर.बी.जे. 2004 (11) पेज सं. 163 प्रस्तुत किये और कथन किया कि प्रार्थी का प्राथमिक रूप से मामला नहीं बनता है। अपूर्णीय क्षति प्रार्थी सिद्ध नहीं कर पाया। वर्तमान में प्रार्थी अपने वाद के अनुतोष को वाद निर्णय से पूर्व अच्छी भूमि का रिसीवर नियुक्त करवाना चाहता है। प्रार्थी द्वारा बारानी भूमि खरीद की गई है, इसी अनुसार वह बारानी भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है। अंकित भूमि पर उसका कब्जा 8.00 बीघा तक है एवं उसे आर्थिक हानि नहीं हो रही है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी निरस्त करने की प्रार्थना की।

विद्वान अभिभाषकगण पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया व न्याय निर्णयों का गम्भीरतापूर्वक एकाग्रचित से पठन व मनन उपरान्त पाया गया कि वर्तमान में प्रार्थी स्वयं स्वीकार करता है कि उसका स्वयं के नाम अंकित भूमि की सीमा 8.00 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त है। यह भूमि किस खसरा नम्बर व चकबन्दी में किस चक व पत्थर नम्बर की है, प्रार्थी द्वारा स्पष्ट नहीं की गयी है। मात्र कथन से उसका अन्यत्र कब्जा मानने योग्य नहीं है। द्वितीय, जब उसका अंकित हिस्सा 8.00 बीघा पर कब्जा है तब उसको आर्थिक हानि भी दौराने वाद सम्भव होना प्राथमिक रूप से प्रकट नहीं होता। खरीद की गयी भूमि की किस्म बारानी है जिससे 40,000/–रू. प्रतिबीघा फसल की आशा भी नहीं की जा सकती। विभाजन पश्चात् ही विशिष्ट हिस्सा प्रार्थी का निर्धारित होने योग्य है। अप्रार्थीगण अंकित भूमि में सहकाश्तकार होना स्वीकार करते हैं। विभाजन पश्चात् विशिष्ट भूमि का निर्धारण होने योग्य है। भूमि तीन खसरों में है, प्रार्थी तीनों ही खसरों में अंकित भूमि में हक पाने का अधिकारी है। किसी एक खसरे की भूमि में सहकाश्तकार एवं अंकित काश्तकार के विरुद्ध स्थगन अथवा रिसीवर के प्रावधान काश्तकारी अधिनियम में नहीं हैं। इस अवस्था में वर्तमान प्रार्थना–पत्र हेतु प्राथमिक रूप से मामला बनना नहीं पाया जाता व ना ही

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को हो रही है, बल्कि प्राथमिक रूप से प्रकट हो रहा है कि प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति किसी प्रकार की नहीं हो रही है एवं सुविधा व सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रकट नहीं हो रहा। न्याय निर्णय प्रकाशित आर.बी.जे. 2004 (11) पेज सं. 270, व 163 के तथ्य इस मामले में प्रभावशील होते हैं जिसमें अंकित काश्तकार के विरुद्ध साधारणतया स्थगन नहीं देने का निर्देश है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय इस मामले में लागू नहीं होते। आर.आर.टी. 2017 में स्थगन की अवहेलना में रिसीवर नियुक्त किया है। यहां स्थगन अवहेलना का मामला नहीं है। इसी प्रकार डी.एन.जे. 2016 (Rev) 60 के न्याय निर्णय अनुसार वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा न होने की स्थिति में व अप्रार्थी का कब्जा होने पर कब्जे के लिए प्रतिभूति मांगी जा सकती है, किन्तु इस मामले में प्रार्थी ने खरीदशुदा 8.00 बीघा भूमि पर कब्जा स्वीकार किया है। इस अवस्था में नकद प्रतिभूति भी लगाना उचित नहीं है, इसलिए प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य नहीं बनता।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाकर निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2019.12.27 13:39:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: